जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोपालगंज

फोन नं0— 06156—224767
Email-ID:- ddc-gopalganj-bih@nic.in

पत्रांक 777 / अभि0
दिनांक 19 / 08 / 2019

आदेश

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विजयीपुर ने अपने पत्रांक 681 दिनांक 24.06.2020 एवं पत्रांक 941 दिनांक 10.08.2020 द्वारा श्री मनीष कुमार तिवारी (HRMS ID-106764), ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत—पगरा, प्रखण्ड—विजयीपुर के विरुद्ध निम्नांकित आरोप लगाते हुए कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया है :—

1. कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र से दिनांक 26.06.2020 से लगातार अनुपस्थित रहना।
2. स्पष्टीकरण का जवाब कार्यालय में उपस्थित होकर समर्पित नहीं करके WhatsApp द्वारा दिया जाना।
3. अपने वरीय पदाधिकारी के आदेश के अवहेलना एवं मनमानेपन तरीके से कार्य करना।

श्री मनीष कुमार तिवारी (HRMS ID-106764), ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत—पगरा, प्रखण्ड—विजयीपुर का प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विजयीपुर द्वारा कार्रवाई के अनुशंसा के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक 537 दिनांक 11.06.2020 द्वारा श्री तिवारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री तिवारी द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिया गया, जिसपर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विजयीपुर के मंतब्य प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के ज्ञापांक 571 दिनांक 19.06.2020 द्वारा भेजा गया। उक्त पत्र के आलोक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विजयीपुर ने अपने पत्रांक 884 दिनांक 16.07.2020 द्वारा अपना मंतब्य दिया गया है। जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि श्री मनीष कुमार तिवारी (HRMS ID-106764), ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत—पगरा, प्रखण्ड—विजयीपुर द्वारा अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित रहने के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विजयीपुर के कार्यालय ज्ञापांक 440 दिनांक 20.04.2020, पत्रांक 447 दिनांक 28.04.2020, पत्रांक 504 दिनांक 04.05.2020 एवं ज्ञापांक 550 दिनांक 14.05.2020 (कोरेन्टाईन सेन्टर पर अनुपस्थित रहने के संबंध में) स्पष्टीकरण दी गयी थी, जिसका अनुपालन श्री तिवारी द्वारा नहीं किया गया है। पुनः श्री तिवारी दिनांक 24.06.2020 से अपने कर्तब्य क्षेत्र से लगातार अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित भी है, जिसके लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विजयीपुर के ज्ञापांक 883 दिनांक 16.07.2020 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विजयीपुर ने अपने मंतब्य में वित्तीय वर्ष 2019—20 में श्री तिवारी के कार्यरत पंचायत—पगरा में कुल 06 लक्ष्य पूर्ण किये जाने एवं प्राथमिकता सूचीं में अयोग्य लाभुकों को रिमान्ड से संबंधित सारी प्रक्रिया पूर्ण कराने का प्रतिवेदन दिया गया है। पुनः प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विजयीपुर ने अपने पत्रांक 941 दिनांक 10.08.2020 द्वारा श्री तिवारी के विरुद्ध कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विजयीपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री तिवारी द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया है, बल्कि WhatsApp के माध्यम से दिया गया है, जो वरीय पदाधिकारी के आदेशों के अवहेलना एवं मनमानेपन को प्रदर्शित करता है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि श्री मनीष कुमार तिवारी (HRMS ID-106764), ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत—पगरा, प्रखण्ड—विजयीपुर दिनांक 24.06.2020 से लगातार अपने कर्तब्य से अनुपस्थित रहे है एवं उनके द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब प्रखण्ड विकास

पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर नहीं दिया गया, जो इनके कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं घोर लापरवाही का घोतक है।

अतः प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विजयीपुर द्वारा उपरोक्त वर्णित आरोपों, कार्रवाई की अनुशंसा एवं अपने वरीय पदाधिकारी के आदेश का अवहेलना करने तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के साथ किये गये एकरारनामा की कंडिका संख्या–10 के प्रावधान "The employer may terminate this contract without giving any notice in the event of 7 or more days of continuous unauthorized absence of the 2nd party." का उल्लंघन करने के आरोप में श्री मनीष कुमार तिवारी (HRMS ID-106764), ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत–पगरा, प्रखण्ड–विजयीपुर का अनुबंध अनाधिकृत रुप (दिनांक 24.06.2020) से अनुपस्थित रहने की तिथि से रद्द करते हुए उन्हें चयन मुक्त किया जाता है। यदि वे चाहें तो रद्द आदेश के विरुद्ध अपील जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के समक्ष अनुबंध रद्द आदेश पारित किये जाने की तिथि के तीन माह के अन्दर कर सकते हैं।

(सज्जन आर0)
उप विकास आयुक्त,
गोपालगंज।

ज्ञापांक 777 / दिनांक 19.08.2020 /

प्रतिलिपि :– श्री मनीष कुमार तिवारी (HRMS ID-106764), ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत–पगरा, प्रखण्ड–विजयीपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला–गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विजयीपुर को निदेश दिया जाता है कि उक्त पत्र का तामिला संबंधित कर्मी को अपने स्तर से कराते हुए प्रतिवेदन प्रेषित करें तथा उनसे संबंधित प्रभार यथा–मोबाईल, अभिलेख/संचिका, पंजी आदि प्रभार प्राप्त कर सूचना से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से सभी प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया को सूचित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, गोपालगंज को जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज/हथुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 डायरेक्टर, बी0आर0डी0एस0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(सज्जन आर0)
उप विकास आयुक्त,
गोपालगंज।